दिनांक : .०१.२०१९

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री,

नई देहली – ११००११

विषय : तीर्थक्षेत्रों में मद्य–मांस का उत्पादन, संग्रह, विक्रय और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध तथा मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करने के संबंध में ...

महोदय,

'भारत' विश्व का आध्यात्मिक गुरु है । विश्व में सर्वाधिक प्राचीन मंदिर और तीर्थक्षेत्र भारत में हैं । इन तीर्थक्षेत्रों के चैतन्य और सात्त्विकता के कारण ही आज भारत सात्त्विक देश है ; परंतु, दुर्भाग्य है कि भारत के अनेक तीर्थक्षेत्रों में मद्य–मांस की बिक्री हो रही है । मद्य–मांस से तीर्थक्षेत्रों की पवित्रता घटती जा रही है । उदाहरण ही देना हो, तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री विठ्ठल–रुक्मिणी मंदिर में दर्शन करने लाखों वारकरी और अन्य श्रद्धालु लोग प्रति वर्ष आते हैं । यहां अनेक देशी मद्य, बियर बार और मांस बेचने की दुकानें हैं । इससे, तीर्थक्षेत्रों की पवित्रता समाप्त होती जा रही है । इस विषय में ठोस उपाय करने की आवश्यकता है ।

महाराष्ट्रसहित देशभर के मंदिरों में होनेवाला भ्रष्टाचार और कु–प्रबंध समाप्त करने के लिए वहां सुव्यवस्था बनाने के नाम पर वहां की राज्य सरकारों ने अनेक मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया है । अब वहां सरकारी व्यवस्था के अनुसार कामकाज होता है । परंतु, अब प्रमाण मिले हैं कि वहां पहले से अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है । मुंबई का श्री सिद्धीविनायक मंदिर, पंढरपुर का श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, कोल्हापुर का श्री महालक्ष्मी मंदिर, शिर्डी का श्री साई संस्थान, तुलजापुर का श्री भवानीमाता मंदिर आदि सरकार नियंत्रित मंदिरों का भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है । इन मंदिरों में श्रद्धालु जनता धर्मकार्य के लिए दान करती है । परंतु, सरकार उन पैसों का विनियोग धर्मकार्य के लिए न कर, सामाजिक अथवा शासकीय योजनाओं में करती है । इनमें हुए अनेक घोटाले उजागर हुए हैं ।

*** तीर्थक्षेत्र को मद्य–मांस से मुक्त रखने के विषय में ध्यान में आई कुछ बातें इस प्रकार हैं –**

१. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी.एम. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शिवराज पाटील की खंडपीठ ने ९ मार्च २००४ को 'हरिद्वार' और 'ऋषिकेश' इन तीर्थक्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन ने 'मांस–मद्य' बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ठहराया है । न्यायालय ने कहा, ''इन तीर्थस्थानों में कुंभमेला लगता है । वहां करोडों लोग धार्मिक उपासना करने आते हैं । इन करोडों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना तीर्थक्षेत्रों से जुडी होती है । उनका विचार प्रमुखता से किया जाना चाहिए ।'' इसी प्रकार, इन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय ने 'मांस–मद्य' पर प्रतिबंध का समर्थन भी किया है ।

२. हिन्दू धर्म मद्यपान और मांसाहार को त्याज्य मानता है । इतना ही नहीं, मद्यपान और मांसाहार को धर्मशास्त्रों में पापकर्म कहा गया है । श्रद्धालु अपने मन पर नियंत्रण रखें, यह कहना उचित है, पर शास्त्र यह भी कहता है, 'द्रष्टा दृश्यवशात बध्दः ।' अर्थात, दृश्य को देखनेवाला उस दृश्य में आबद्ध होता है । आईसस्क्रीम देखने पर उसे खाने की इच्छा होना, चलचित्रगृह दिखाई देने पर चलचित्र देखने की इच्छा होना, कपडों की दुकान देखने पर कपडे खरीदने की इच्छा होना, इस सिद्धांत की सत्यता के प्रमाण हैं । इसलिए, मद्य–मांस की दुकानें देखने पर सामान्य व्यक्ति को खाने–पीने की इच्छा होना स्वाभाविक है । ऐसा न हो, इसके लिए मद्य–मांस की दुकानें तीर्थक्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए ।

३. तीर्थक्षेत्र धार्मिक केंद्र होते हैं । हिन्दू धर्म में सत्त्व, रज, तम इन त्रिगुणों के विषय में बताया गया है । मंदिर सात्त्विकता के स्रोत होते हैं, तो मद्य–मांस तमोगुण बढाते हैं । मंदिरों की सात्त्विकता अर्थात पवित्रता सुरक्षित रखने के लिए मंदिर और उसके आसपास सात्त्विक कार्य ही होने चाहिए । मांस–मदिरा सेवन जैसे तामसिक कार्य करने पर मंदिर और उसके परिसर की पवित्रता घटती है । इसलिए, केवल अर्थलाभ के लिए तीर्थक्षेत्रों में मांस और मदिरा की दुकानें खोलना सर्वथा अनुचित है ।

४. पैठण (औरंगाबाद) तीर्थक्षेत्र में भी देशी-विदेशी मदिराओं की दुकानें बडी संख्या में हैं । इसलिए, यहां के सैकडों युवक शहर के सभी मदिरालयों में शराबियों को दूध, दही और मट्ठा बांटकर अलग-अलग प्रकार के आंदोलन लगातार कर रहे हैं ।

५. वर्तमान में देश के कुल मद्य का ७० प्रतिशत उत्पादन महाराष्ट्र में होता है । उनमें भी श्रीक्षेत्र पंढरपुर, आळंदी, देहू, पैठण आदि वारकरियों के तीर्थक्षेत्रों में तत्कालीन कांग्रेस शासन ने मांस और मदिरा बेचने की अनुज्ञप्ति दी है ।

६. इसके पहले भी प्रमुख वारकरी संगठन और लाखों वारकरी महाराष्ट्र शासन से पंढरपुर में मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं । उसके लिए उन्होंने अनेक बार आंदोलन भी किए हैं ।

*** मंदिर सरकारीकरण-संबंधी बातें इस प्रकार हैं –**

१. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार धर्मनिरपेक्ष सरकार को हिन्दुओं के मंदिर चलाने का अधिकार नहीं है । केवल वहां कि अव्यवस्था दूरकर वह मंदिर पुनः संबंधित समाज को लौटाना चाहिए । फिर भी पहले की कांग्रेसी सरकारें और आज की भाजपा सरकार ने लगातार अनेक मंदिरों का सरकारीकरण किया । परंतु, वास्तविकता यह है कि शासननियुक्त इन मंदिर समितियों ने बडा भ्रष्टाचार कर, देवनिधि की लूट की है ।

२. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के नियंत्रण में कुल ३०६७ मंदिर है । हिन्दू जनजागृति समिति ने सूचना के अधिकारों के अंतर्गत उजागर किया है कि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति ने देवस्थान के प्रबंधन और कारोबार में प्रचंड घोटाले किए हैं । इसमें प्रमुख है वर्ष १९६९ से वर्ष २००४ तक अर्थात ३५ वर्षों में लेखा परीक्षण न होना, श्री महालक्ष्मी देवस्थान और केदारलिंग देवस्थान छोडकर प्रत्येक देवस्थान के आभूषण, उनका मूल्य आदि के संबंध में समिति के पास प्रविष्टी बही (रजिस्टर) न होना, लगभग ७०० करोड रुपयों की भूमि गायब होना, करोडों रुपयों के खनन की रॉयल्टी न होना आदि सहित अनेक घोटालों का समावेश है । मंदिर समिति के घोटाले की पूछताछ के लिए ४ वर्ष पूर्व 'सीआईडी' का विशेष दल नियुक्त किया गया है; परंतु अभी तक किसी भी दोषी पर कार्यवाही नहीं हुई है ।

३. महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवस्थान की दानपेटी की वर्ष १९९१ से २००९ तक अर्थात १९ वर्षों में नीलामी करते समय गलत और झूठी प्रविष्टियां दिखाकर देवस्थान की करोडों रुपयों की हानि की है । उदा. वर्ष २०१० में पूछताछ में उजागर हुआ है कि देवस्थान की एक वर्ष की आय लगभग ४ करोड ६३ लाख रुपए है; परंतु दानपेटी की नीलामी केवल २ करोड ६७ लाख रुपयों में की गई है अर्थात देवस्थान को एक वर्ष में २ करोड रुपयों की हानि हुई । इस प्रकार गत १९ वर्ष देवस्थान को लूटा गया । शासन ने इस प्रकरण की जांच वर्ष २०१२ में सी.आई.डी. से प्रारंभ करवाई । इस जांच में पाया गया कि १२० किलो सोना, ४८० किलो चांदी, तथा २४० करोड रुपए खो गए थे । इस प्रकरण में २३ अधिकारियों की पूछताछ की गई; परंतु उन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

४. कुछ समय पूर्व ही हिन्दू जनजागृति समिति ने शिरडी के साईबाबा संस्थान न्यास का घोटाला उजागर किया है । इस संस्थान न्यास पर नियुक्त समिति ने वर्ष २०१५ के सिंहस्थ कुंभमेले के नियोजन के लिए सामग्री अधिक मूल्य में खरीदी तथा ६६ लाख ५५ हजार ९९७ रुपयों का घोटाला किया ।

सरकार के पास मंदिरों का नियंत्रण जानेपर मंदिर का दान भ्रष्टाचार का चारागाह बन जाता है तथा सरकारीकृत मंदिरों के परिसर में ही मद्य-मांस की दुकानों में वृद्धि दिखाई देती है । संक्षेप में इस प्रकार मंदिरों का सरकारीकरण होने से मंदिरों की सात्त्विकता घटकर आध्यात्मिक स्तर पर भी बडी मात्रा में हानि हो रही है ।

*** इस प्रकरण में हमारी निम्न मांगें स्वीकार की जाएं –**

१. तीर्थक्षेत्रों पर मद्य-मांस के उत्पादन, संग्रह, विक्रय और परिवहन पर १०० प्रतिशत प्रतिबंध लगाया जाए ।

२. तीर्थक्षेत्रों के आसपास न्यूनतम ५ कि.मी. दूरी के परिसर में मद्य-मांस विक्रय केंद्र नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कानून बनाकर उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए ।

३. मंदिर सरकारीकरण के भ्रष्टाचार को देखते हुए शासन तत्काल सर्व सरकारीकरण निरस्त करे और मंदिर पुनः भक्तों के नियंत्रण में दे ।

४. राज्य अपराध अन्वेषण विभाग में प्रलंबित पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति और श्री तुळजापुर देवस्थान में हुए घोटाले का ब्यौरा शासन जनता के सामने उजागर करे । शासन यह भी सार्वजनिक करे कि दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी तथा ब्यौरा दबाकर रखनेवालों पर कठोर कार्यवाही की जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

(संपर्क :)